1/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः—114/21

निर्णय दिनांक 24.01.2023

बउनवान

1. नरेश कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास
2. कुंज बिहारी पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
2. मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
4. शान्तिबाई पत्नी मन्नालाल जाति कुम्हार निवासी कनवास।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी 1 लगायत 3 की ओर से बीएल मेरोठा

प्रतिवादी न 4 की ओर से रेवती रमण नागर एडवोकेट

प्रतिवादी न 5 की ओर से तहसीलदार कनवास

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास तहसील कनवास में जमाबन्दी मुताबिक सत्र 2073—2076 के खाता संख्या 699 खसरा नं0 1202 की रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1205 की रकबा 2.75 है0, खसरा नं0 1215 की 0.64 है0, खसरा नं0 1869 की 3.75 कुल किता 04 की कुल रकबा 7.44 है0 आराजी में वादी क्रम 1 नरेश कुमार का 41/360 हिस्सा, वा दी क्रम 2 कुंजबिहारी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 उमाशंकर का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 मोहनलाल का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 3 लक्ष्मीनारायण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 4 शान्तिबाई का 31/360 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण, प्रतिवादी गण ने उपरोक्त आराजी का परस्पर आपसी सहमति से मौके पर आराजी का बंटवारा कर रखा है तथा आपसी सहमति से ही बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आपसी सहमति से किया गया बंटवारा निम्न प्रकार है जिसे संलग्न नक्शे में दर्शित किया गया है:—

प्रतिवादी नं0 1 के उमाशंकर के हिस्से में खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 दक्षिण तरफ की, खसरा नं0 1869 की 0.93 हैव पूर्वी तरफ की कुल किता 02 की 1.48 है0 तथा वादी क्रम 02 के कुंजबिहारी के हिस्से में खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 उमाशंकर के उत्तरी तरफ, खसरा नं0 1869 की 0.94 है0 उमाशंकर के पश्चिम में कुल किता 02 की 1.49 है0 तथा प्रतिवादी नं0 2 के मोहनलाल के हिस्से में खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 कुंजबिहारी के उत्तरी तरफ, खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

1869 की 0.94 है0 कुंजबिहारी के पश्चिमी में कुल किता 02 की 1.49 है0, तथा प्रतिवादी नं0 3 लक्ष्मीनारायण के हिस्से में खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 मोहनलाल के उत्तरी तरफ, खसरा नं0 1869 की 0.94 है0 मोहनलाल के पश्चिम में कुल किता 02 की 1.49 है0, तथा वादी क्रम 1 नरेश कुमार के हिस्से में खसरा नं0 1205 की 055 है0 उत्तरी दिशा की, खसरा नं0 1202 की 0.30 है0 सम्पूर्ण रकबा कुल किता 02 की 0.85 है0 तथा प्रतिवादी क्रम 5 शांतिबाई के हिस्से में खसरा नं0 1215 की 0.64 है0, सम्पूर्ण रकबा खाता संयुक्त होने से वादीगण को ऋण लेने विकास कार्य कराने व विक्रय करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी गण से खारा विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादी गण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादपत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम कनवास पटवार हल्का कनवास की खाता संख्या 69 की खसरा नं0 1202 की 0.30 है0, खसरा नं0 1205 की 2.75 है0, खसरा नं0 1215 की 0.64 है0, खसरा नं0 1869 की 3.75 है0, कुल किता 04 की 7.44 है0, आराजी के विभाजन की ड्रिकी पारित फरमाई जाकर वादपत्र के पैरा नं. 03 एवं वादपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए नक्शा ट्रेस मुताबिक विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कराया जावे।"

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से श्री बद्रीलाल मेरोठा द्वारा वकालत नामा पेश किया गया एवं प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से श्री रेवतीरमण नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण जवाब व जवाब सरकार में नियत कि गई। पत्रावली में प्रतिवादी 4 की ओर से श्री रेवतीरमण नागर एडावोकेट द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से श्री बद्रीलाल मेरोठा द्वारा दिनांक 12.07.2022 को वकालत नामा पेश किय ागया था किन्तु कोई जवाब पेश नही किया गया प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के स्वयं या अधिवक्ता पूर्व की पेशी में भी उपस्थित नहीं आए है। आज भी अनुपस्थित है। इसलिए प्रतिवादी 1 ता 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली काफी लम्बे समय से जवाब सरकार में नियत है। किन्तु जवाब सरकार अप्राप्त है। अतः पत्रावली आज जवाब सरकार बन्द किया जाता है।
चूंकि पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर वाद की ड्रिकी किये जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी के खाते की नकल जमाबन्दी में हिस्से अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस में आपसी सहमति से बंटवारा करके पृथक–पृथक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे। इसलिए मुताबिक काबिज वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत किये नक्शा में बताए गए बंटवारे अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वादी नरेश कुमार पृथक से खाते ग्राम कनवास हिस्से में खसरा 1205 की उत्तरी तरफ से 0.55 है0 एवं खसरा नं0 1202 की 0.30 है0 सम्पूर्ण कुल किता 02 की 0.85 है0 दर्ज किया जावे इसी प्रकार वादी क्रम 02 कुंजबिहारी के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 उमाशंकर की आराजी में उत्तरी तरफ एवं खसरा नं0 1869 की 0.94 है0 उमाशंकर के पश्चिम में कुल किता 02 की 1.49 है0 दर्ज कि जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 उमाशंकर के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 दक्षिण तरफ एवं खसरा नं0 1869 की 0.93 है0 पूर्वी तरफ कुल

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

किता 02 की रकबा 1.48 आराजी दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादी क्रम 2 मोहनलाल के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 कुंजबिहारी के उत्तरी तरफ व खसरा नं0 1869 की 0.94 है0 कुंजबिहारी के पश्चिमी तरफ कुल किता 02 की 1.49 है0, आराजी दर्ज की जावे। प्रतिवादी क्रम 03 लक्ष्मीनारायण के खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 मोहनलाल के उत्तरी तरफ एवं खसरा नं0 1869 की 0.94 की मोहनलाल के पश्चिम में कुल 02 किता की 1.49 है0 आराजी पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 04 शान्ती बाई के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1215 की 0.64 है0 सम्पूर्ण रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिंनाक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner

[illegible]

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास [illegible] कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या – 114 / 21 निर्णय दिनांक 24.01.2023

बउनवान

1. नरेश कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास
2. कुंज बिहारी पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
2. मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दकिशोर जाति तेली निवासी कनवास।
4. शान्तिबाई पत्नी मन्नालाल जाति कुम्हार निवासी कनवास।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया
प्रतिवादी 1 लगायत 3 की ओर से बीएल मेरोठा
प्रतिवादी न 4 की ओर से रेवती रमण नागर एडवोकेट
प्रतिवादी न 5 की ओर से तहसीलदार कनवास

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **114/2021** सन **2021** तारीख फैसला **24.01.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया **वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से श्री बद्रीलाल मेरोठा एवं प्रतिवादी कम 04 की ओर से श्री रेवतीरमण नागर एवं प्रतिवादी नं0 5 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी नरेश कुमार पृथक से खाते ग्राम कनवास हिस्से में खसरा 1205 की उत्तरी तरफ से 0.55 है0 एवं खसरा नं0 1202 की 0.30 है0 सम्पूर्ण कुल किता 02 की 0.85 है0 दर्ज किया जावे इसी प्रकार वादी कम 02 कुंजबिहारी के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 उमाशंकर की आराजी के उत्तरी तरफ एवं खसरा नं0 1869 की 0.94 है0 उमाशंकर के पश्चिम में कुल किता 02 की 1.49 है0 दर्ज कि जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 उमाशंकर के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 दक्षिण तरफ एवं खसरा नं0 1869 की 0.93 है0 पूर्वी तरफ कुल किता 02 की रकबा 1.48 आराजी दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादी क्रम 2

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

मोहनलाल के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 कुंजबिहारी के उत्तरी तरफ व खसरा नं0 1889 की 0.94 है0 कुंजबिहारी के पश्चिमी तरफ कुल किता 02 की 1.49 है0 आराजी दर्ज की जाते। प्रतिवादी क्रम 03 लक्ष्मीनारायण के खसरा नं0 1205 की 0.55 है0 मोहनलाल के उत्तरी तरफ एवं खसरा नं0 1889 की 0.94 की मोहनलाल के पश्चिम में कुल 02 किता की 1.49 है0 आराजी पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 04 शान्ती बाई के पृथक खाते में ग्राम कनवास की खसरा नं0 1215 की 0.64 है0 सम्पूर्ण रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24.01.2023** माह **जनवरी 2023** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	....	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner